बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या– पी0पी0एम0 (आत्मा)–13/2008– 2795 /कृ0, पटना, दिनांक 01-06-2015

प्रेषक,

अशोक प्रसाद,
उप कृषि निदेशक (सूचना)–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)।

विषयः– **कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं में एक ही कृषक/कृषक परिवार को बार–बार कृषि अनुदान देने में घोर लापरवाही बरतने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना के जाँच प्रतिवेदन में कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं में नवरास पंचायत के एक ही कृषक/कृषक परिवार को बार–बार कृषि अनुदान दिये जाने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रतिवेदन के अध्ययनोपरांत यह साबित होता है कि नवरास पंचायत में एक ही कृषक/कृषक परिवार को कृषि अनुदान वितरण दिया गया है। ऐसा प्रतित होता है कि आपके द्वारा अनुदान वितरण संबंधी कोई अनुश्रवण या निरीक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त पंचायत में वित्तीय एवं प्रशासनिक लापरवाही बरती गई है। यह आपके प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण एक पक्ष के अंदर अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित करें कि इस अनियमितता हेतु क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाय।

विश्वासभाजन,

-6-15

(अशोक प्रसाद)
उप कृषि निदेशक (सूचना)–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2795 /कृ0, पटना, दिनांक 01-06-2015
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा को सूचनार्थ प्रेषित।

-6-15

उप कृषि निदेशक (सूचना)–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना।

D:\PPM\ATMA\Atma files\ATMA 2013.docx